फर्द अहकाम

नियम (26)

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा

वादी/प्रार्थी	बनाम	प्रतिवादी/अप्रार्थी
श्रीमती छगनकंवर पत्नि [illegible]रसिंह कौम [illegible] राव सा० मणधर तह० जसवंतपुरा		भूमिधारी तहसीलदार जसवंतपुरा

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र / प्रार्थना पत्र .... नंबर - 7/2019 /20

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25.11.19	प्रार्थीया .... की ओर से अधिवक्ता श्री रणछोड़राम .... द्वारा प्रार्थनापत्र बाबत U/S 136 L.R. Act 1956 विरूद्ध ~~प्रतिवादीगण~~ / अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो । ~~प्रतिवादीगण~~/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस .... तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 27/11/2019. को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी, जसवन्तपुरा जिला-जालोर (राज.)	
27.11.19	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी को नोटिस तामिल प्राप्त। अप्रार्थी जवाब पेश नहीं करना चाहते है अतः जवाब बंद किया जाकर मिसल वास्ते निर्णय तारीख 5.12.19 को पेश हो।	
5.12.19	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता हाजिर। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम मणधर तह0 जसवंतपुरा के खसरा नं.486, 487 के संपूर्ण रकबे में बाबूसिंह, जबरसिंह,छैलसिंह पि0 बालसिंह कौम राव सा0 मणधर का 1/3 हिस्सा दर्ज था। उसे जरिये रजिस्ट्रड दस्तावेज दिनांक 12.9.2006 को प्रार्थीगण के हक में पंजीबद्ध करवाया गया, इस प्रकार का प्रार्थीगण का उक्त आराजी के 1/3 हिस्से पर कब्जाकाश्त है। नामांतरकरण सं. 160 दिनांक 5.11.2006 को भरा जाकर ख0स0 486, 487 में बेचानकर्ता बाबूसिंह,जबरसिंह, छैलसिंह पि0 बालसिंह के स्थान	

Scanned by CamScanner

पर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये गये लेकिन हल्का पटवारी ने रजि0 दस्तावेज में खरीददारों छगनकंवर पत्नि हरिसिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज है व शेष श्रीमति शारदाकंवर पत्नि गणेशसिंह, श्रीमति गुलाबकंवर पत्नि भोपालसिंह व अंतरकंवर पत्नि अमरसिंह का 1/2 हिस्सा पंजीबद्ध दस्तावेज में अंकित है किंतु राजस्व रेकर्ड में इंद्राज करते वक्त भूल से हिस्सा नहीं खोला गया व अन्तरकंवर पत्नि अमरसिंह के नाम से नामांतरकरण दर्ज नहीं किया गया। अतः ग्राम मणधर तह0 जसवंतपुरा के खसरा नं.486, 487 जुमले रकबा 4.76 है0 का 1/3 हिस्सा में से खरीददार छगनकंवर पत्नि हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा अर्थात संपूर्ण आराजी का 1/6 हिस्सा व खरीददार शारदाकंवर पत्नि गणेशसिह, गुलाबकंवर पत्नि भोपालसिंह, अंतरकंवर पत्नि अमरसिंह के नाम 1/2 अर्थात संपूर्ण आराजी का 1/6 हि0 दर्ज करवाने का आदेश किया जावे।

हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया व प्रकरण में संलग्न दस्तावेजात के अध्ययन के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में खरीददार छगनकंवर पत्नि हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा अर्थात संपूर्ण आराजी का 1/6 हिस्सा व खरीददार शारदाकंवर पत्नि गणेशसिह, गुलाबकंवर पत्नि भोपालसिंह, अंतरकंवर पत्नि अमरसिंह के नाम 1/2 अर्थात संपूर्ण आराजी का 1/6 हि0 दर्ज किये जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम मणधर तह0 जसवंतपुरा के खसरा नं. 486, 487 के राजस्व रेकर्ड में खरीददार छगनकंवर पत्नि हरिसिंह के नाम 1/2 हिस्सा अर्थात संपूर्ण आराजी का 1/6 हिस्सा व खरीददार शारदाकंवर पत्नि गणेशसिह, गुलाबकंवर पत्नि भोपालसिंह, अंतरकंवर पत्नि अमरसिंह के नाम 1/2 अर्थात संपूर्ण आराजी का 1/6 हि0 दर्ज किये जाने हेतू तहसीलदार जसवंतपुरा को आदेशित किया जाता है। तहसीदार जसवंतपुरा नियमानुसार राजस्व रेकर्ड शुद्धि किया जाना सुनिश्चित करे।

मिसल फैसल होकर नंबर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो

Scanned by CamScanner